न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
50 / अपील / 19	27.06.2019	26.07.2022

1. लटूर
2. बाबू
3. शोजी
4. रामप्रकाश

सभी व्यस्क पि0 हरदेव जाति अहीर निवासीगण धंनावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

5. हेमराज
6. राधेश्याम

सभी व्यस्क पि0 मोती जाति अहीर निवासीगण धंनावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

7. भंवरलाल
8. रमेश

सभी व्यस्क पि0 मुकुन्दा जाति अहीर निवासीगण धंनावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर
2. गणेश
3. मदन
4. फोरूलाल उर्फ फारिया
5. जगदीश

सभी व्यस्क पि0 मूल्या जातियान बैरवा निवासीगण रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

6. बंटी नाबालिग
7. ग्यारसीलाल नाबालिगस

पि0 मोरया जर्ये संरक्षक माँ मोसमी पत्नि मोरया जाति बैरवा निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तह0 हिण्डोली।

8. मोसमी पत्नि मोरया
9. संजना पुत्री मूल्या
10. शंकरी पुत्री मूल्या
11. भूरी पत्नि मूल्या

सभी जातियान बैरवा निवासीगण रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

12. कजोड आ0 मोती जाति बैरवा निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

लालू आ0 मोती मृतक के कायम मुकाम

13. हीरा आ0 लालू
14. भंवरलाल आ0 हजारा
15. अनिता पुत्री हजारा पत्नि धर्मराज

सभी जातियान बैरवा निवासीगण रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

मांग्या आ0 मोती मृतक के कायम मुकाम

16. सोहनी पुत्री मांग्या पत्नि रामदेव जाति बैरवा निवासी राजपुरा।
17. नारायण
18. दुर्गा
19. फोरया

सभी व्यस्क पि0 मांग्या जातियान बैरवा निवासीगण रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

लाल्या आ0 मोती मृतक के कायम मुकाम

20. मीरा बाई पुत्री लाल्या पत्नि पोखर जाति बैरवा निवासी ग्राम गांधीग्राम तहसील एवं जिला बून्दी।

नोल्या आ0 मोती मृतक के कायम मुकाम

21. काली पुत्री नोल्या
22. घासी आ0 नोल्या

सभी व्यस्क सभी जातियान बैरवा निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

A6/2

पुत्री नोल्या पत्नि पप्पू जाति बैरवा निवासी भोलू मीणा की झोपडीया नन्दगॉव तहसील एवं जिला बून्दी। **(मृतक के कायम मुकामान)**

23/1. पप्पूलाल पति जाति बैरवा निवासी भोलू मीणा की झोपडीया नन्दगॉव तहसील एवं जिला बून्दी।

23/2. खुशीराम आ0 पप्पूलाल जाति बैरवा निवासी भोलू मीणा की झोपडीया नन्दगॉव तहसील एवं जिला बून्दी।

23/3. रसीला बाई पुत्री पप्पूलाल जाति बैरवा निवासी भोलू मीणा की झोपडीया नन्दगॉव तहसील एवं जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—
अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 8 की ओर से — श्री कैलाश गुप्ता एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 15 व 20 की ओर से — श्री रविन्द्र सहाय एड0
रेस्पो0 संख्या 16 लगायत 19, 21, 22 व 23/1 लगायत 23/3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण संख्या 3/प्रा0पत्र/2017 निर्णय दिनांक 14.12.2018 से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में पेश की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय से तहसीलदार हिण्डोली द्वारा भूमि खसरा संख्या 76 रकबा 5 बीघा 16 बीस्वा, 77 रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 11 बीस्वा वाके ग्राम राजपुरा तहसील हिण्डोली से रेस्पोडेन्ड को बेदखल करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 16, 17, 18, 19, 21, 22 व 23/1 लगायत 23/3 बावजूद सूचना दिनांक 16.10.2020 को उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदत्त किये गये।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2018 कानून एवं वस्तु स्थिति के विपरीत हैं। विवादित आराजी खसरा संख्या 76 रकबा 5 बीघा 16 बीस्वा, 77 रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 11 बीस्वा वाके ग्राम राजपुरा तहसील हिण्डोली भूमि रेस्पोडेन्ड के पूर्वज मोती, चन्द्रा पि0 हरबक्स निवासी धंनावा ने दिनांक 17.06.1965 को उक्त भूमि तत्कालीन खसरा संख्या 2/3 रकबा 12 बीघा ग्राम धंनावा अपीलांट के पूर्वज चतुर्भुज जाति अहीर निवासी धंनावा को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बैचान कर कब्जा संभला दिया था, चतुर्भुज के वारिसान अपीलांट्स तब से ही वंशक्रमानुगत् निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2018 पारित किया गया हैं जिसमें अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून से परे जाकर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया हैं जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2018 निरस्त किया जावे। वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलआर 2002(1) पेज 135 (एचसी) (डीबी), आआरडी 1984 पेज 821 (एलबी), आरआरडी 2002 पेज 623, आरआरडी 2016 पेज 612 (एचसी) (डीबी) व आरबीवी 2015 पेज 258 की नजीरें पेश की।

वकील रेस्पोडेन्ड ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ड अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त कृषि भूमियों पर रेस्पोडेन्ड्स के पूर्वज व उनके बाद रेस्पोडेन्ड्स अलग—अलग हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु भूमि का रेस्पोडेन्ड्स के गॉव से दूर होने से काश्त करने में परेशानी होने लगी तो रेस्पोडेन्ड्स ने पड़ोसी काश्तकार को उक्त भूमियां आज से

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/13

...आबोली में जुता दी। रेस्पोडेन्ड्स का आना–जाना कम हो गया एवं उपज का आधा ...स्पोडेन्ड्स को देते रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व अपीलांट्स रेस्पोडेन्ड्स को उपज का हिस्सा देने से इंकार कर दिया एवं भूमियों पर अतिक्रमण की हैसियत से कब्जा कर लिया। अपीलांट्स से द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तथाकथित विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी कानून का उल्लंघन माना हैं। धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों पर बलात, कब्जा हटाने के प्रावधान हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी हैं। अतः अपील अपीलांटस खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। वकील रेस्पोडेन्ड ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2019(1) पेज 763 (राज. एचसी), आरएलडब्ल्यू 2011(3) पेज 2147 (राज. एचसी), आरएलडब्ल्यू 2011(4) पेज 2966 (राज. एचसी), आरआरडी 2014 पेज 768 (एससी), आरआरडी 2008 पेज 658 (राज. एचसी) व आरआरडी 2009 पेज 259 (राज. एचसी) की नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित आदेश दिनांक 14.12.2018 से अपीलांट को भूमि खसरा संख्या 76 रकबा 5 बीघा 16 बीस्वा, 77 रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 11 बीस्वा वाके ग्राम राजपुरा तहसील हिण्डोली उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्द को बेदखल करने का प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया गया हैं। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि उक्त धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में यह प्रावधान हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली की जावेगी। प्रकरण में पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 14.06.1965 का हवाला दिया जाकर यह अंकित किया गया हैं कि रेस्पोडेन्ड्स के पूर्वज ने भूमि का विक्रय कर अपीलांट्स को कब्जा संभलाया हैं जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन हुआ हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में ऐसे विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य माना गया हैं जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति का हो और दूसरा पक्ष स्वर्ण जाति का हो। हस्तगत प्रकरण में विक्रय पत्र अपंजीकृत हैं एवं धारा 42 से प्रभावित हैं। प्रथमदृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों का परीक्षण किये बिना ही निर्णय पारित किया गया हैं जो कथई न्यायोचित नहीं हैं। यदि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से प्रभावित माना जाकर निर्णय दिया गया हैं तो प्रकरण को अन्तर्गत धारा 175 के तहत ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित करने हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था।

उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2018 निरस्त किया जाता हैं, साथ ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी), 42 एवं 175 के परिपेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण अन्दर 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2022 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह)
अति० जिला कलक्टर, बूंदी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)